

कार्यालय राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश

सी-1 विक्रान्त खण्ड-1 (निकट शहीद पथ) गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक : 430 /एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./अभि.-1/2017

दिनांक: 21 अप्रैल, 2017

आदेश

वर्ष 2012 से वर्ष 2014 तक योजित अपील व पुनरीक्षण याचिकाओं को सूचीबद्ध किये जाने के संबंध में निर्गत आदेश संख्या 10275/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./अभि.- 1/2017 दिनांकित 06.02.2017 को संशोधित किया जाता है। वर्ष 2012 से वर्ष 2014 तक योजित अपील व पुनरीक्षण याचिकाएं दिनांक 01.05.2017 से पूर्व की भाँति पीठ संख्या 5 के समक्ष सूचीबद्ध होंगी।


(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान)

अध्यक्ष

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. समस्त मा. सदस्यगण, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र., लखनऊ।
2. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, निबन्धन/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राज्य आयोग।
3. वैयक्तिक सहायक ग्रेड- 1, मा. न्यायमूर्ति अध्यक्ष, राज्य आयोग।
4. प्रशासनिक अधिकारी (अभिलेखागार), राज्य आयोग।
5. प्रशासनिक अधिकारी (अधिष्ठान), राज्य आयोग (आदेश को वेब-साइट पर अपलोड कराने के आशय से)।
6. लिस्टिंग अनुभाग, राज्य आयोग।
7. वरिष्ठ सहायक, समस्त न्याय कक्ष, राज्य आयोग।
8. अध्यक्ष, एल्डर कमेटी, ऑल यू.पी. कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन बार एसोसिएशन।
9. नोटिस बोर्ड।


(पंकज कुमार सिंह)

निबन्धक